

दिनांक: 16/02/2024

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय:- संघ सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/निकाय/लोक उद्यम /संगठन आदि के प्रबंधक (राजभाषा), संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिंदी अधिकारियों/वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन वर्ष -2024

महोदय/महोदया,

राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में राजभाषा अधिकारी अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें, इसको दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रशिक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के हिंदी अधिकारियों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अभिमुखी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब तक कुल 65 (पैंसठ) अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

यह देखा गया है कि उक्त कार्यक्रम के लिए नामित अनेक अधिकारी प्रशासनिक, व्यक्तिगत या आकस्मिक कारणों से इसमें शामिल नहीं होते, अभी भी ऐसे अधिकारियों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2024 में भी एक अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत राजभाषा अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधि. की पात्रता/पदनाम	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है ।
1.	अभिमुखी कार्यक्रम	राजभाषा हिंदी की अद्यतन जानकारी देना। राजभाषा संबंधी दायित्वों से परिचित कराना। राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन करना।	03.06.2024 से 07.06.2024 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)	भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुवाद से जुड़े संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (रा.भा), हिंदी अधिकारी, उप/सहा.प्रबंधक(रा.भा.)/वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग अधीनस्थ कार्यालय/ बैंक/ उपक्रम/ निगम/ निकाय/बीमा कंपनी/ लोक-उद्यम आदि ।

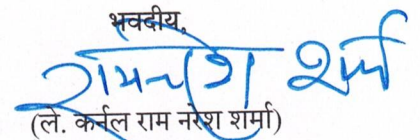
नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक '1' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार एवं प्रशिक्षण संचालन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथासमय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
- इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।

प्रशिक्षण केंद्र का पता: अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जम्मू व कश्मीर हाउस के सामने/ राजस्थान हाउस के पास), नई दिल्ली-110011.

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
 - इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा/दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
 - कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
 - प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक- II देखें जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से सम्बद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस रूट/निकटतम मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।

भवदीय,

(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)
निदेशक

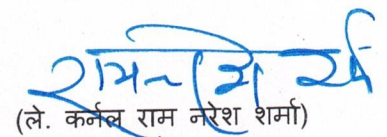
पृष्ठांकन सं.19011/28/2024-केंहिंप्रसं/अल्प.ग.प्रशि. 501-900

दिनांक: 16/02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
4. उ. नि. (हिं ट व हिं आ) एवं कार्यालयाध्यक्ष केंहिंप्रसं।
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
8. उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद एवं बेंगलूरु।
9. सहायक निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
10. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के पोर्टल/ वेबसाइट पर इस पत्र को उपलब्ध कराने के निदेश के साथ।
11. सहायक निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।

भवदीय,


(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)
निदेशक

नामांकन प्रपत्र

अधिकारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती का स्थल	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं, कार्यालय/ मोबा. नंबर	ई मेल आई डी (कैपिटल अक्षरों में)

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम एवं पदनाम :

कार्यालय का संपूर्ण पता :

.....

.....

दूरभाष सं. :

ई-मेल आई डी :

संपर्क सूत्र

1.	2.	3.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी. जी. ओ. परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 दूरभाष: - 011- 24361852 ई-मेल: dirchti-dol@nic.in	सलाहकार (उप निदेशक), अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011 दूरभाष: - 011- 23793521 ई-मेल: chti1153@nic.in	सहायक निदेशक, अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011 दूरभाष: - 011- 23793521 ई-मेल: chti1232@nic.in chti1282-dol@nic.in